

मार्तीय संविधान के भाग

भाग

अनुच्छेद

1. संघ एवं उसका शाय द्वेष ————— 1 से 4
2. नागरिकता ————— 5 से 11
3. मौलिक अधिकार ————— 12 से 35
4. निरि निर्देशक तत्व ————— 36 से 51
- 4 क. मूल कर्तव्य ————— 51 (क)
5. संघ ————— 52 से 151 (ख)
6. राज्य ————— 152 से 237 (ग)
7. पहली अनुसुची के भाग एवं राज्य — 238 (निर्धित) (घ)
8. संघ राज्य द्वेष ————— 239 से 242 (ङ)
- 9 क. पंचायत ————— 243, 243 क से ए तक
- 9 ख. सहकारी समितियाँ ————— 243 त से 243 द
10. अनुसुचित और बनजातीय द्वेष ————— 244, 244-क
11. संघ और राज्यों के बीच संबंध ————— 245 से 263
12. वित्त संपत्ति संविदार्थी और वाट ————— 264 से 300 क.
13. मारत के राज्य द्वेष के भित्र व्यापार — 301 से 307
वाणिज्य एवं समागम
14. संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ — 308 से 323
- 14(क.) अधिकरण ————— 323 क, 323 ख.
- 15 निर्वाचन ————— 324 से 329
- 16 कुछ कार्यों के संबंध में विशेष अधिकार — 330 से 342
- 17 राजभाषा ————— 343 से 351
18. आपात उपर्युक्त ————— 352 से 360
19. प्रकीर्ण ————— 361 से 367
20. संविधान संशोधन ————— 368

21. अख्यायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवेद - 369 से 392

22. संश्लिष्ट नाम प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और
निरसन —————— 393 - 395

मौलिक कथ्य

- (1) समता या समानता का अधिकार — अनुष्टुप् 14 से 18
- (2) खण्डनता का अधिकार —————— अनुष्टुप् 19 से 22
- (3) शोषण के विरह अधिकार —————— अनुष्टुप् 23 से 24
- (4) व्यामिक स्वर्णता का अधिकार —————— अनुष्टुप् 25 से 28
- (5) संस्कृति और विज्ञा संवेदि अधिकार —————— अनुष्टुप् 29 से 30
- (6.) सर्वेषानिक उपचारों का अधिकार —————— अनुष्टुप् 32

संविधान (Constitution)

सभी के लिए बरावर कानून को संविधान कहते हैं मार्गीय संविधान में 22 मार्ग तथा 395 अनुच्छेद हैं।

मार्ग - 1 संघ और राज्य छेत्र (1-4)

अनुच्छेद 1 → मारत राज्यों का संघ (Union) है अर्थात् इसके राज्य कभी-भी ढुकर अलग नहीं हो सकते हैं।

Note → ओ देश federation होते हैं उसके राज्य ढट सकते हैं।

जैसे - सोवियत संघ U.S.A

अनुच्छेद 2. → संसद राष्ट्रपति को पूर्व सुनना देकर किसी भी विदेशी राज्य को मारत में मिला सकते हैं।

Ex - 16 May 1975 के सिक्किम का मारत में विलय

अनुच्छेद 3. → संसद राष्ट्रपति को पूर्व सुनना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सिमा को बदल सकते हैं।
जैसे - बिहार से आर्जेंड
उड़िसा से ओडिशा

अनुच्छेद 4 → अनु. 2 और 3 में किया गया संसोधन अनु. 368 के बाहर रखा गया है अर्थात् इस संसोधन का राष्ट्रपति नहीं शक सकते हैं।

भारतीय शब्दों का इतिहास

अजादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासत (राज्य) में हुआ हुआ था। अँग्रेजों ने इन्हे यह आदिकार दिया कि वे शब्द भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरकार पटेल ने K.K. मेनन ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किन्तु तीन राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे।

1. जम्मुकाश्मीर: यह स्वतंत्र देश बनना चाहता है। यहाँ के २७३ हरि सिंह शे और उनका प्रब्लान मंत्री श्रीख अवृला था। इसी बीच पाकिस्तान के छवारा पर काश्मीर में धुसरें होने लगी जिसके बाद २६ अक्टूबर १९४७ को काश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का हींग बन गया।

(ii) झुनागढ़ → यह गुजरात का एक रियासत थी। यह जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किन्तु सरकार पटेल ने अनमत संग्रह कराकर (Referendum) उसे भारत में मिला दिया।

3. हैदराबाद: हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। किन्तु सरकार पटेल ने पुलिस कि वर्दी में सेना भेजा जिसे आपरेशन फॉलो कर गया इसी के तहत हैदराबाद को भारत में लिया गया।

इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में A, B, C, D में बांटा गया।

भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में S.K घर आयोग का गठन किया गया किन्तु इसमें भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया।

तेलंग भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पैद़ श्रीरामलू शुभ धूरताल पर बैठ गया। और 56 दिन के भुख धूरताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई फल स्वरूप अनता का विरोध किया गया। फल स्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलंग भाषा के लिए अलग राज्य ओष्ठ प्रदेश को अलग कर दिया। अन्तः यह भाषा के आधार पर गढ़ि होने वाला पहला राज्य था।

भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया। और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मन्त्रा दे दिया। इस आयोग के फल स्वरूप नवाँ संविधान संझोड़न 1956 में पारित हुआ। इसके बाद A, B, C, D को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए।

→ पंजाब राज्य का पुर्नगढ़न साथ आयोग के सिफारिश पर हुआ।

नागरिकता

→ कोई भी देश अपने मुल निवासियों को कुछ क्षेत्रिक अधिकार देता है इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है भारत में एक ही नागरिकता ही अर्थात् हम केवल देश के नागरिक हैं शायदी की नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं भारत में नागरिकता प्रियोन से लिया गया है।

- भारत कि नागरिक 1950 के संविधान परमान्वादित है नागरिकता में पहली बार संसदीयन 1986 में किया गया था।
- नागरिक होने के कारण PAN और Aadhar और फिया जाता है।
जैसे नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
 - नागरिकता कि चर्चा भाग-२ में अनुच्छेद (5-11) तक है।

अनुच्छेद 5 → संविधान के ~~प्रारंभ~~ प्रारंभ में ही ही नागरिकता अर्थात् जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दि गई। जो उस समय भारत के अंदर थे।

अनुच्छेद 6 → पाकिस्तान से भारत में आये लोगों का नागरिकता किन्तु यदि वह संविधान बनाने के बाद आएं तो नागरिकता नहीं मिलेगी।

अनुच्छेद 7 → स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले जोट आए तो उन्हे नागरिकता दे दी जाएगी।

अनुच्छेद ४ → विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत कि नागरिकता समाप्त नहीं होगी।

अनुच्छेद ९ → विदेशी नागरिकता लेने पर भारत कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।

अनुच्छेद १० → भारतीयों कि नागरिकता की होली तब तक जब तक कि वह कोई देश किसी दी कार्य नहीं करते।

अनुच्छेद ११ - नागरिकता संवधी कानून संसद बनाती है अह विमोदारी गृहमंत्रालय को दी गई है।

नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ

भारत में नागरिकता प्राप्त करने की पांच विधियाँ हैं।

- (i) जन्म के आधार पर - भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दि जाएगी, यदि उनके माता-पिता भारत के नागरिक हों तो Ex - ('हम सभी')

- (ii) विदेश मे अन्म लेने वाले व्ययो को भी नागरिकता दिजायेगी। यदी उसके माता-पिता या घोनो मे से कोई एक भारत का नागरिक हो Ex-शिखर छवन
- (iii) किसी विदेशी शज्य को भारत मे मिला जैसे पर → वहाँ के लोगो को नागरिकता दे दि जायेगी। सिक्कीम का भारत मे बिल्य होने के बाद वहाँ के निवासी को दि गई नागरिकता वंगला देश के ~~भारत~~ 24 प्रणाली को नागरिकता।
- (iv) पंजीकरण :- इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत मे रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रभूमि देशो को नागरिकता दि जाती है।
- (v) देशीकरण :- वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही ज्ञानता हो, भारत के प्रति सक्षमताके सौच रखता हो वैज्ञानिक या कला मे निपुण हो साथ ही लगातार भारत मे 10 साल तक रहा हो।

* overseas नागरिकता → इसे 2005 मे लहमीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये उड़े-उड़े उद्योगपतियो को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति विना VISA के भारत आ सकता है।

Note → देश विरोधी काम करने या पाण्ड छो जाने या कुसरे शख्स के प्रभाव मे आ जाने पर एह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कि जा सकती है।

- * VISA → किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यत होती है। इस अनुमति को ही VISA कहते हैं। बिना VISA किसी दूसरे देश में प्रवेश बही कर सकते।
- * PASSPORT → अपने देश को हॉड़कर दूसरे देश में जाने के लिए रुद्र अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है जिसे Passport कहते हैं।

भाग - ३ मुल अधिकार (अनु० १२-३५)

मुल अधिकार को नैसर्जिक अधिकार कहते हैं। क्योंकि ये अन्म के वाद मिल जाता है। मुल अधिकार को मैंगनाकारा कहते हैं। इसे U.S.A के संविधान से लिया गया है।

अनुच्छेद १२ - मुल अधिकार की परिभाषा

अनुच्छेद १३ - यदि हमारे मुल अधिकार को किसी दूसरे मुल अधिकार प्रभावित करे, तो हमारे मुल अधिकार पर एक लगाता जा सकता है। (अल्पीकरण)

* समता / समानता का अधिकार [अनु० १४-१८]

अनुच्छेद १४ → विद्यि के समक्ष समानता अधोरूप कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था विदेश से ली गई है। जब कि कानून के समान संरक्षण कि व्यवस्था अमेरिका से ली गई है।

अनुच्छेद १५ → जाति धर्म लिंग अन्मस्थान के आधार पर सर्वजनिक स्थान (सरकारी स्थान) पर भैं भाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद १६ → लोक निर्विचिन (सरकारी नौकरी की समानता) इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय छाप्रण की चर्चा है।

अनुच्छेद १८ - अस्पृश्यता [झाझा फुल का अन्त]

अनुच्छेद १८ - उपाधियों का अंत (किन्तु शिक्षा सुखा तथा मारत रत्न पद्म विशुषण इत्यादी रज सकते हैं जिन्हें उपाधि रखने के पुर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती हैं)

स्वतंत्रता का अधिकार [अनु० १९ - २२]

अनुच्छेद १९ → (i) भविष्यक्ति कि स्वतंत्रता, बौलने की स्वतंत्रता अप्पा लहराने, पुतला जलाने RII तथा प्रैस कि स्वतंत्रता
(ii) विना छायियार सभा करने की स्वतंत्रता

(iii) संगठन बनाने कि स्वतंत्रता

(iv) विना रोक योक चारी ओर घुमने कि स्वतंत्रता

(v.) भारत में किसी द्वेष में बसने कि स्वतंत्रता

(vi) सम्पत्ति का अधिकार अब यह मुल अधिकार नहीं रहा। बल्कि कानूनी अधिकार ही गया।

* सम्पत्ति के अधिकार को ४५वे सोवियन संशोधन हारा १९७४ में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद ३३(क) के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया।

(vii) अवसाय करने कि स्वतंत्रता।

अनुच्छेद २० - इसमें तिन प्रकार कि स्वतंत्रा यी गई हैं।

(i) एक गलती कि एक सजा

(ii) सजा उस समय के कानून के आधार पर दि जायेगी न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर

(iii) सजा के बाद भी कैदी को संखण दिया जाता है।

Note → अनुच्छेद २० के अनुसार अब तक किसी व्यक्ति को न्यायिक दोषी करार नहीं कर दी है तब तक उसे अपेक्षी बही माना जाता।

अनुच्छेद २१ → इसमें प्राण से दृष्टिक रवतंत्रा हैं इसी के कारण अधिक छुका देने वाले वाले या विना हैलमेर वाले व्यक्ति को को पुलिस चलाने कारणी हैं। अनुच्छेद २१ में ही निजता का साधिकार पर ओड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी की कोई उजागर नहीं कर सकता।

नोट → अनुच्छेद २० तथा २१ को अपारकाल के दोऽन नहीं शोका जा सकता। इसे सरकारी व्यक्तिगती मुल अधिकार कहते हैं।

अनुच्छेद २१(क.) इसे ८ से १५ वर्ष के बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का साधिकार है। इसे ४६वाँ संशोधन (२००२) हरा जीड़ा गया।

अनुच्छेद २२ → इसमें तीन प्रकार की स्वतंत्रता ही गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण (रक्षा) करती है।

- (i) व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट (कारण) बताना होता है।
- (ii) २४ घंटे के अंदर उसे व्यायलय में सह-शरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस २४ घंटे में यातायात तथा भवकाश का समय नहीं दिया जाता है।
- (iii) गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पांस का विकल रखने का अधिकार है।

* निवारक विरोध अधिनियम (Preventive Detention)

→ इसकी चर्चा अनुच्छेद २२ के एवं में ही इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस बाकु के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये अधिकारम् तीन महिने तक गिरफ्तार या बंदरबंद कर सकती है।

* नजरबंद → किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नजरबंद कहते हैं। नजरबंद होता, आवास था जैल कही भी हो सकता है।

* भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम

(i) निवारक विरोध अधिनियम 1950 → यह भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम या 31 Dec 1971 में इसे ~~निवारक विरोध~~ प्राप्ति समाप्त कर दिया गया।

(II) MISA (Maintenance of Internal Security Act) → इसे 1971 में लाया गया किन्तु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया।

(III) राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) → इसे 1980 में लाया गया था अभी तक जागृ हैं यह वर्तमान में सबसे खतरनाक आधिनियम है इसके तहत पुलिस इनकाउटर कर देती है।

(IV) TADA (Terorist and Disturbative Activity) → इसे 1985 में लाया गया आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता था। दुरुपयोग होने के कारण 23 may 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया।

(V) POTA (Prevention of Terrorism Act) → यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2007 में समाप्त कर दिया गया।

* शोषण के विरोध अधिकार [अनु० 23-24]

अनुच्छेद 23 → बोलात श्रम (जबरदस्ती श्रम) तथा वैरोचनारी (बिना वेतन) पर रौक लगाया गया। चिन्ह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हात श्रम या वैगारी कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 24 → 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एवतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता।

* धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार [अनु० 25-28]

अनुच्छेद 25 → अंतःकरण की चर्चा अर्थात् व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता कि चर्चा ही इसके तहत सिखों को कृपाण (त्स्नवार) मुस्लिमों को दाढ़ी, हिन्दुओं को टिकी रणने का सर्वत्रित है।

अनुच्छेद 26 → इसमें सामुहिक धार्मिक स्वतंत्रता ही इसी के तहत अज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने कि अनुमति है।

अनुच्छेद 27 → धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर ईक्स नहीं लगता।

अनुच्छेद 28 → सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगी।

Remark → संस्कृत एक भाषा है जो कि हिन्दू धर्म के धार्मिक शिक्षा इसी प्रकार उक्त तथा भारती एक भाषा है जो कि इस्लाम धर्म के शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का अलंबन नहीं है।

* संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार [जनु 29-30] अल्पसंब्यक्त

अनुच्छेद 29 → [अल्प संब्यक्तों को हिन्दौ का संस्कृत] →
इसमें अल्पसंब्यक्तों की एक ही छोट कृषि गया है कि किसी भी अल्पसंब्यक्त को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते।

अनुच्छेद 30 → [अल्पसंब्यक्तों का शिक्षा संलग्न]
अल्पसंब्यक्त यदी बहुसंब्यक्तों के विच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अल्पसंब्यक्त अपने पास कि संस्था खोल सकते हैं सरकार उसे भी धन देती।


अनुच्छेद 31 → इसमें ऐंटूक सम्पति कि चर्चा की गई है और मूल अधिकार था किन्तु 44 वाँ संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस कानूनी अधिकार बना लिया गया। होर अनुच्छेद 30(क) में जोड़ दिया गया।

Remark नुअनुच्छेद 19(ए) में अजित सम्पति की चर्चा है अब कि 31 में ऐंटूक सम्पति कि चर्चा है।

(५) मूल अधिकार को हम से सरकार या जनता कोई नहीं दीन सकता जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं हिन्दू सकारी किन्तु सरकार हिन्दू सकारी है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण किष्टेयक जाया।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

* अनुच्छेद 32 → संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार बड़ा जाता है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सिद्ध सुप्रिम कोई जा सकता है। सुप्रिम कोई पांच घंटा के रिट/थाचिका या समादेश जारी करती है।



* बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हवियस कर्फ्स) → यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बन्दी बनाने वाली आधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे २५ घंटे के भित्ति सह-शारिर व्यालय में प्रस्तुत करें।

* परमादेश (मैन्डेमस) → इसका अर्थ होता है कि आदेश देते ही जब कोई सहकारी कर्मचारी अर्थ से काम नहीं करता है तो इसपर यह जारी किया जाता है।

* अधिकार पृष्ठा (कोर्टर्सी) → जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को कर्हे लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार पृष्ठा आता है।

→ अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय अपात) के दौरान केवल 20 और यह हि ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सका।

* प्रतिबंध (Prohibition) → यह उपरी व्यायालय अपने से नियंत्री व्यायालय पर तब लाती है जब नियंत्री व्यायालय अपने अधिकारों का उलंघन करके फैलना सुना चुकी रहती है।

* उल्पेषण (Contempt) → यह भी उपरी व्यायालय अपने से नियंत्री व्यायालय पर तब लाती है जब नियंत्री व्यायालय अपने अधिकारों का उलंघन करके फैलना सुना चुकी रहती है।

Note → अम्बेडकर ने अनु० 32 को संविधान कि आत्मा कहा था।

Note → किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं - प्रस्तावना

Note → ये पांच प्राच ने दिए के अनुच्छेद 226 के तहत हाई-कोर्ट भी जारी कर सकता है।

अनुच्छेद ३३ → राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, भिड़िया तथा घृप्तचर के मुल अधिकार को सीमित कर सकती है।

अनुच्छेद ३४ → भारत के किसी भी छोड़ में सेना का कानून (Marshal law) लागू किया जा सकता है। सेना के व्यायालय को ~~कोर्ट~~ Court Marshal कहते हैं। सबसे कठोर Marshal law AFSPA है। (Armed forces special power Act)

अनुच्छेद ३५ → भाग - ३ में दिए गए मुल अधिकार के लागू होने के बिधि कि-वर्णा।

* मुल अधिकार को भ्रष्टियों में वाय जाना जाता है। किन्तु वर्तमान में छोटी है।

भ्रष्टि

अनुच्छेद

1. समानता का अधिकार → [१४ - १८]
2. स्वतंत्रता का अधिकार → (१९ - २२)
3. शोषण के विवृद्धि अधिकार → [२३ - २४]
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार → [२५ - २८]
5. शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार → [२९ - ३०]
6. सम्पत्ति का अधिकार → ३१ X
7. संरक्षणिक उपचार का अधिकार → ३२

अनुच्छेद ३३ → राष्ट्रीय सुरक्षा के दिन में संसद सेना, मिडिया तथा गृहचर के मुल अधिकार को सीमित कर सकती हैं।

अनुच्छेद ३४ → भारत के किसी भी छोड़ में सेना का कानून (Marshal law) लागू किया जा सकता है। सेना के व्यायालय को ~~Court~~ Court Marshal कहते हैं। सबसे कठोर Marshal law AFSPA है। (Armed forces special power Act)

अनुच्छेद ३५ : भाग - ३ में दिए गए मुल अधिकार के लागू होने के बिष्टि कि - कर्ता।

* मुल अधिकार को भ्रष्टियों में बाया जाता है। किन्तु वर्तमान में शैषिया है।

प्रेणी	अनुच्छेद
१. समानता का अधिकार	→ [१४ - १८]
२. स्वतंत्रता का अधिकार	→ (१९ - २२)
३. शैषण के विभूष्म अधिकार	→ [२३ - २४]
४. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	→ [२५ - २८]
५. शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार	→ [२९ - ३०]
६. सम्पत्ति का अधिकार	→ ३१ X
७. संवैष्णविक उपचार का अधिकार	→ ३२

Note → अनुच्छेद 14, [20, 21, 21A], [23, 24], [25-28] - मारतीय
तथा विदेशीयों द्वारा के लिए।

- * अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल मारतीयों को मिलता है
- * हड्डाल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है क्योंकि इससे द्वान्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है।
- * स्थायी अवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं हैं।
- * बौद्ध डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है मूल अधिकार नहीं।
- * मूल अधिकार को कुछ समय के लिए शाष्रपति निलंबित करते हैं।
- * मूल अधिकार को स्थायी उप ये प्रतिवेदित संसद करती है।
मूल अधिकार का रक्तक $\frac{SC}{32}$ तथा $\frac{HC}{226}$ को करते हैं।

[भाग -4] नीति निर्देशक तत्व

इसे भाग -4 में अनुच्छेद ३६-५१ के बिच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया था ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं। किन्तु संविधान घनते समय सरकार के पास इतने व्यक्ति नहीं रहा। जो उन्हे उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार कि इच्छा पर विर्भाव है। जिस कारण के दी साह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व इस चैक के समान है। जिसका भुगतान वैकं अपनी इच्छा तुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य समाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र कि स्थापना करना है।

अनुच्छेद ३६ → परिभाषा

अनुच्छेद ३७ → इसे व्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।
 अर्थात् यह व्यायालय द्वारा प्रवित्रनिय नहीं है। या वाद गोप्य
 नहीं है। लागू
बहस

अनुच्छेद ३८ → लोक कल्याण कि अभिवृत्ति अर्थात् सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे - राशन कार्ड। [समाजीक आर्थिक व्यायामिक व्याय]

अनुच्छेद ३९ → समानकाम के लिए स्त्री पुरुष की समान वैतन तथा संसाधनों का उचित वितरण

अनुच्छेद ४१(क) निःशुल्क विधी (कानूनी) संघयता [४२ वां संशोधन]
1976

अनुच्छेद ४० → ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद ४१ → कुछ दस्तावेजों में सरकारी संघयता [काम, शिल्प] प्राप्त करना जैसे - बुद्धा पेंशन, विद्या पेंशन, विकलांग को साहिकी

अनुच्छेद ४२ → व्यायसंगत कार्य की मनोवित दस्ता तथा प्रमुखी संघयता उपलब्ध करना जैसे - जर्मनी महिला हारा फ्लोर शारिरिक अम न करना

अनुच्छेद ४३ → निर्वाह योग मजदुरी अर्थात् इतना वेतन दिया जाये की परिवार चला सके। [फ्लोर उद्योग]

TRICK → दमन
↓ ↓ ↓
41 42 43

अनुच्छेद ४३(क.) उद्योग प्रबंधन में कामगारों की आजीकारी

अनुच्छेद 44 → समान शिविल संहिता अर्थात् सभी व्यासों के लिए विवाह एवं तलाक कि भारती समान रूपी भले ही विवाह कि वित्तिया अलग हो।

Note → आप्राध्य के कानून के दृष्टि संहिता तथा चुनाव के कानून को आधार संहिता कहते हैं।

अनुच्छेद 45 → 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार कि जिम्मेदारी है। तथा 6-14 वर्ष के आयु के बच्चों का निश्चालक शिक्षा देना सरकारी कि जिम्मेदारी है।

Note → शिक्षा के अधिकार को अमूल अधिकार बनाकर शाक में जोड़ दिया है। [स्कॉलरशिप 2008]

अनुच्छेद 46 - SC/ST/OBC के लिए विशेष आरक्षण

अनुच्छेद 47 → सरकार पोशायकत्व आदार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिवेद लगाएगी।

अनुच्छेद 48 क. → पर्यावरण वन तथा बन्य जीव कि रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। [47वां संशोधन 1976]

अनुच्छेद 49 → राष्ट्रीय समाजको की रक्ता करना सरकार का कर्तव्य होगा।

अनुच्छेद 50 → कार्यपालिका से व्याय पालिका को छाना करना

अनुच्छेद 51 → अक्तराष्ट्रीय शास्ति को उदागा देना। अन्तराष्ट्रीय विवादों को महत्वपूर्ण द्वारा सुलझा देना इसी अनुच्छेद के तहत भारत U.N.O का सदस्य बना

निरी-निर्देशक नत्व का वर्गीकरण

* निरी-निर्देशक नत्व के तीन भाग में वैसे हैं-

(i) गांधीवादी - अनु 40, 43 & 46, 47

(ii) समाजवादी - 38, 39, 39(क.) 41, 42, 43

(iii) वौहिक या भारवादी → 44, 45, 48, 48 & 49, 50, 51

Note → मिनरमा मिल और मुक्तमो में व्यायालय ने कहाँ कि सरकार निरी-

निर्देशक नत्व या मुल अधिकार दोनों पर देखा है। अर्थात् संतुलन बनाये रखे। व्यायालय ने कहाँ कि निरी-निर्देशक नत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुँचने का साधन मुल अधिकार है।

* मुल अधिकार तथा निति निर्देशक तत्व मे अंतरः

मुल अधिकार	निति निर्देशक तत्व
(i) इसे USA से लिया गया है।	इसे आयर लैण्ड से लिया गया है।
(ii) इसे भाग - ३ मे रखा गया है।	इसे भाग ५ मे रखा गया है।
(iii) यह नैसर्गिक अधिकार होता है। तथा जन्म से ही मिल जाता है।	यह नैसर्गिक नहीं होता है तथा सरकार के लाभ बढ़ने के बाद मिलता है।
(iv) यह व्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाद चोग्य है।	यह व्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाद चोग नहीं है।
(v) यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है अर्थात् तकनालम्ब है।	यह सरकार कि आधिकार को बढ़ा देता है अर्थात् घनालम्ब है।
(vi) इसके पिछे कानूनी मन्यता है।	इसके पिछे राजनीतिक मन्यता है।
(vii) यह निलंबित हो सकता है।	यह निलंबित नहीं हो सकता है।
(viii) यह व्यक्ति के भलाई के लिए है।	यह समाज मे भलाई के लिए है।

[मूल कर्तव्य]

→ इसे 42 वाँ संविधान संशोधन 1976 में सरदार सर्वा सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया इसे इस के संविधान में लिया गया है इसे न मानने पर कोई दण का प्रवधान नहीं है इसे भाग 4(क) में मनुष्टेद 51(क) के तहत जोड़ा गया मूल संविधान में मूल कर्तव्य ऐसी थी 42 वाँ (1976) हारा 10 कर्तव्य तथा 46 वाँ संशोधन हारा 1 और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है।

- ① संविधान का पालन करना तथा उसके आदेश संख्या (संसद SC, HC) राष्ट्रीय छवज राष्ट्रीय प्रतिक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
- (2) राष्ट्रीय अंदोलन की प्रेरित करने वाले आदेशों का पालन करना। (भारा)
- (3) देश की सम्प्रमुता (द्वाव रहित शासन) एकता तथा अखंता को बनाये रखना।
- ④ देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना।
- ⑤) देश के लोगों में समृद्धि (मैल - मिलाप) तथा आई-चाह बनाये रखना।
- ⑥) देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना।
- ⑦) वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना।



- (8) पर्यावरण, बन्ध तथा क्यजीव की रक्षा करना।
- (9) सार्वजनिक (सरकारी) सम्परि की रक्षा करना।
- (10) व्यक्तिगत तथा सामुहिक मन्दाई के लिए तैयार रहना।
- (11) 6-14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक (प्राथमिक) का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये [86 वाँ संशोधन 2002]
- मूल अधिकार 21(क)- 6-14 वर्षीयों को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार
- मूल कर्तव्य 51(क) 6-14 वर्षीयों के बच्चों के अभिभावकों उनकी प्राथमिक शिक्षा देना का कर्तव्य
- Note → श्रीष्ण से कमज़ोर रोटी की रक्षा करना हमारी मूल कर्तव्य नहीं है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

→ यह मानवाधिकार कि रक्षा करता है इसकी मुख्यालय दिल्ली है इसकी व्यापना 1993 में हुई। इसकी माल्यवान सुप्रिम कोर्ट का रियर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है तथा इसमें 8 सदस्य होते हैं।

* कार्यपालिका, विधायिका एवं व्यायपालिका


→ विधी / विधेयक (Bill) बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है और इसे लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है तथा यदि इसे लागू करने में कोई व्यायिक चुनौती होती है तो उसके व्याय में व्यवस्था करने की शक्ति व्यायपालिका के पास होती है।



माण - 5

संघ * अनुरूपेद 52-151

राष्ट्रपति :-



अनुरूपेद - 52 ÷ राष्ट्रपति का पद → राष्ट्रपति द्वारा का आपचारिक (नाम मात्र के लिए) प्रमुख होता है। आपचारिक प्रमुख के द्वय में राष्ट्रपति का पद विट्ठ से लिया गया है।



अनुरूपेद 53 - कार्यपालिका का आपचारिक प्रब्लेम राष्ट्रपति होते हैं। अर्थात् सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वताक्षर के बाद किए जायेंगे। कार्यपालिका का वात्सविक प्रब्लेम PM होता है।

अनुरूपेद - 54 → राष्ट्रपति का निर्वाचन → इसका निर्वाचन एकल संक्रमणिय अनुपातिक प्रक्रिया होता है। अप्रथम रूप से घृप्त मतदान होता है।

- * अनुपातिक पद्धति → इस पद्धति हरा चुनाव में खड़ी सभी उमीदवारों को वारियता क्रम में बोट देना होता है।
- * एकलसंक्रमणीय → इसके हरा सबसे कम मत पार उमीदवार के vote को लेकर आधिक vote पार उमीदवार के vote में जोड़ दिया जाता है।
- * प्रथम चरण की मतगणना → इसमें उमीदवार की पहली सर्कीन वारियता सुची गिनी जाती है।
- * द्वितीय चरण → इसमें द्वितीय वरियता सुची गिनी जाती है। यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है।
→ री. वी. गिरि के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी।
- * अप्रत्यक्ष मतदान → राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनता भाग नहीं लेती और अनता हरा चुने जए प्रतिनिधि भाग लेते हैं।
- * राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल → राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल में लोक सभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य ($29+2$) [दिल्ली + पाहिजोरी] के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
 - विधान परिषद् राज्य सभा के 12 मनोनित सदस्य तथा लोकसभा के 2 Anglo Indian राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
 - मुख्यमंत्री अब विधान परिषद् का सदस्य होगा तो कह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा।

→ 69 वाँ संसोधन 1990 हारा Delhi तथा पाणीचरी में विधान सभा का गठन किया गया।

→ 70 वाँ संशोधन 1990 हारा राष्ट्रपति के विविक मण्डल में दिल्ली तथा पाणीचरी को राष्ट्रपति के विविक मण्डल में शामिल किया गया।



* 1 MLA के vote का value →

$$1 \text{ MLA} = \frac{\text{राज्य की अनुसंध्या}}{\text{राज्य का MLA} \times 1000}$$

* 1 MP के vote का value →

$$1 \text{ MP} = \frac{\text{कुल MLA का वोट}}{\text{कुल संसद की संख्या}}$$

Note → भारत में 29 राज्य के वोट को मिलाने पर M.L.A का कुल वोट 5,49,495 वोट आता है जब कि M.P का कुल वोट 5,49,498 के लगभग आता है।

इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 11,000,00 वोट लगभग पड़ते हैं।

\Rightarrow राष्ट्रपति की अमानत राशि :-

चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया अमानत के रूप में R.B.I के पास रखनी होती है।

यदि राष्ट्रपति के 1/8 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की अमानत राशि अप्प हो जाएगी।

इसे अमानत अप्प होना ~~कहते~~ कहते हैं यह अपमान कि स्थिति है।

* भनुर्फेद-55 :- इसमें राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं अमानत अप्प होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है किन्तु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हता दिया जाता है।

$$\text{कोटा} = \frac{\text{कुल वोट}}{\text{कुल प्रत्याशी}} + 1$$

$$\text{Total vote} = 60$$

$$\text{अमानत} = \frac{60}{6} = 10$$

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

K, L, M.

$$\text{कोटा} = \frac{60}{13+1} + 1 = \frac{60}{14} + 1 = \frac{79}{14}$$

$$= 6 \text{ लाख रुपये}$$

अनुच्छेद 56 → इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अदी राष्ट्रपति का पहले 5 वर्ष से पहले ही खाली ही आती है। तो व्या राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है। न कि व्ये दूसरे कार्यकाल के लिए।

Note → अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है।

* अनुच्छेद 57 - एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित ही सकता है। अब तक डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ही द्वारा निर्वाचित हुए हैं।

* अनुच्छेद - 58 योग्यता

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) 35 वर्ष आयु।
- (3) लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता।
- (4) 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो।

* अनुच्छेद 59 द्वारा/शर्तें

- ① पांगल या दिवालियाँ न हों।
- (2) लाभ के पद पर न हों।
- (3) संसद या विधानसभा में किसी का भी सदस्य न हो।

⇒ अदी कोई सदृश्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाया हो उसे
क्षमता लेने से पुर्व अपने सभ्य कि सदृश्यता
व्यागनी पड़ती है।

Note → सरकारी नौकरी जाम का पद कहलाता है सांसद
मंत्री विधायक जाम के पद नहीं हैं थे अनता
के सेवक हैं।

* अनुच्छेद - 60 → राष्ट्रपति को क्षमता दिलाने का कार्य
पर्वतीय व्यायालय के मूल्य व्यायाधीश करती है।
इसके अनुपस्थित में S.C के बीच 30 व्यायाधीशों में
वरिष्ठ व्यायाधीश दिलाएं।

व्याधिक शक्ति :→ अनुच्छेद 72 के अनुर्गत राष्ट्रपति कि
द्वामा शक्तिया हैं राष्ट्रपति द्वामा करने से पुर्व
एह मंत्रालय की सलाह लेता है एह 5 प्रकार के
किसी ~~द्वामा~~ को माफ कर सकता है।

1. द्वामा : अब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पुरी तरह
माफ करता है तो उसे द्वामा कहते हैं।
2. लेधुकरण : इसमें राष्ट्रपति सजा कि प्रकृति को बदलते
हैं किन्तु समय नहीं घटाते हैं।

B)- फॉसी कि सजा को आजीवन करावास इस साल
कठोर करावास को इस साल साधारण।

3. प्रतिहार : इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किन्तु
प्राकृति नहीं।

\Rightarrow 10 साल कठोर क्रावास की 5 साल क्रावास
- इसका प्रयोग फॉसी की सजा पर नहीं हो सकता है

4 विराम \rightarrow किसी केंदी की खात्य अचिन नहीं है तो
उसकी सजा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए
रोक लगा देते हैं

5. प्रतिलिंगन \rightarrow राष्ट्रपति जव फॉसी की सजा की कुछ
समय के लिए रोक लगाता है तो उसे प्रतिलिंगन
कहते हैं यह इस लिए लगाया जाता है कि केंदी
द्यायाधिका अपील कर सकते हैं

Note \rightarrow राष्ट्रपति Civil Court तथा सेना कि मौर्ट दीनी कि
सजा माफ कर देते हैं जब कि राज्यपाल केवल
Civil Court की सजा माफ कर सकता है [मौर्ट
कि सजा राज्यपाल ही कर]

राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है किन्तु घाँसी
एवं सेना कि सजा की माफ नहीं कर सकता।

\Rightarrow अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना कि सजा को माफ
नहीं कर सकता है

\Rightarrow वैन्य शक्ति \div यह तीनों सेना का प्रधान होता है भर्तः
यह किसी देश से युद्ध/विराम कि घोषणा
करता है

\Rightarrow राजनीतिक शक्ति \div यह भारत के राजदूत को विदेश में
भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने
कि अनुमति देता है।
विदेश जाने वाले भर्ती राष्ट्रपति

से अनुमति लेकर जाते हैं।

* राष्ट्रपति की अपारकालीन शक्तियाँ →

1. राष्ट्रीय अपार अनुच्छेद ३५२ - अब कभी विदेशी आक्रमण हो जाए था सशस्त्र चिन्हों हो जाए तो मंत्रीमण्डल के सिफारिष पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय अपार कि घोषणा करते हैं।
⇒ घोषणा के ३० दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय अपार का अनुमोदित करा जावश्यक है।
यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भी इसे नहीं लोकसभा ३० दिन के भीतर अनुमोदित करेगी।
- ⇒ दोनों सदनों में अनुमोदित मिलने के बाद अपारः है: माह तक लागू अनुमोदित अनेक काल तक बदाया जा सकता है।
⇒ यदि राष्ट्रपति विना मंत्रीमण्डल सिफारिष के अपार लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुनिम कीट में दी जा सकती है।

राष्ट्रीय अपार का प्रभाव

1. इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है।
2. देश का संघीय दाचा प्रभावित हो जाता है।
3. अनुच्छेद ३५२ अब लागू रहता है तो अनुच्छेद ३५४ त्वरित लागू हो जाता है दी गई विनियन प्रकार कि वित्तमंत्री को स्थगित कर देता है।
4. अनुच्छेद ३५१ अपारकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि कह अनुच्छेद २० और २१ को

दोडकर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है।

4. राज्य सरकार व्यक्ति विहिन हो जाती है।

5. संसद राज्यसुची के विषय में कानून बना सकता है।
किन्तु यह प्रभावी केवल 1 साल तक रहता है।

Note: अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमण्डल शब्द का चर्चा हुआ है।

⇒ अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपात लगा है।

1. 1962 — चीन घुस़

2. 1971 — कंगला द्वेष संकट

3. 1975 — अंतरिक्ष अवांति

⇒ इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है।

2. राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन →

यह तब लाया जाता है जब राज्य का संविधानिक इन्द्रा विफल हो जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि —

प्रत्येक संविधान के अनुत्पत्ति शासन करेगी।

अधिकार

बहुमत की सरकार ब्यार ही शासन ले सकता है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर कार्य करेगी।

अद्य 355 या 356 का कोई राज्य उलंघन नहीं हो सकता, तो राज्यपाल की सुविधा पर मंत्रिमण्डल की सिफारिश पर उस राज्य पर राष्ट्रपति आपात लाए कर दिया जाता है।

⇒ राजकीय अपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना।
जानिवार्य है। थरी राज्यसभा ने कर किया है तथा लोकसभा
अनुमोदन की पुर्व मंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के
मिट्टर करेगी। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन
मिलने के बाद 6 माह तक लागू रहेगा।

6-6 माह करके इसे आधिकारिक तीन त्रिमास तक
लागू किया जाता है।

⇒ अपवाद के दृष्टि में अम्मु और कांगड़ीर में राजकीय
अपात है 3 वर्ष से आधिकारिक तक रहेगी।

⇒ पहली बार राजकीय अपात पंजाब (PEP) 1952 के में
लागू हुआ।

* राजकीय अपात का प्रभाव - राज्य की सारी शक्तियाँ
राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं।

2. मुख्यमंत्री वापत्तिविहीन।

3. राज्य की विधायी शक्तियाँ सांसद के घास चली
जाती हैं।

4. राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत लगता है।

Note :- राजकीय अपात के दोस्रा H.C में कार्य प्रभावित नहीं
होते हैं।

5. विदिय अपात अनुच्छेद - 360 → इसे U.S.A के संविधान से
जाया गया है। इसे तब जाया जाता है जैसे तब
जाया जाता है अब देश कि विदिय स्थिती काफी
खराब हो।

- ⇒ इसे मैत्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति भी जाते हैं
- ⇒ संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 दिनों के अंदर अनुमोदन करना आवश्यक है
- ⇒ यदि राज्यसभा ने अनुमोदित कर दिया तथा लोकसभा में भी नहीं वो नई लोकसभा 30 दिनों में भीतर अनुमोदित करेगी
- ⇒ एक बार अनुमोदित मिलने के बाद अब तक संसद नहीं हटती तो वह नहीं हटता है
- ⇒ यह अभी तक लागू नहीं है

प्रभाव: → (1) राष्ट्रपति के वेतन को होड़कर बोध सरकारी कर्मचारी के वेतन काट लिया जाते हैं।
 2. सरकारी खर्च में कटौती की जाती है।
 3. Tax बढ़ा दिया जाता है।

अपात	संसद का अनुमोदन	नई लोकसभा
राष्ट्रीय अपात अनु० - 352	30 दिनों के अंदर	30 दिन
जागीर अपात अनु० - 356	60 दिन	30 दिन
वित्तीय अपात अनु० - 360	60 दिन	30 दिन

* राष्ट्रपति का विवेकाद्यिकार व्यक्ति → इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी वर्द्धानुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा की क्रिंकु होने पर किया जाता है और किसी की बहुमत न मिले तो करते हैं।

⇒ अब जीकसमा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को PM घोषित कर देते हैं और 30 दिन के भीतर बहुमत सिफ्ट करने का करते हैं।

यदि उसने 30 दिन के भीतर बहुमत सिफ्ट कर दिया तो वह PM होगा अन्यथा द्विवार चुनाव होगा।

* राष्ट्रपति की बीटी शक्ति → विधेयक को रोकने की शक्ति को बीटी शक्ति कहते हैं यह तीन प्रकार की हैं।

1. अर्थात् कारी बीटी → राष्ट्रपति अब विधेयक को पुरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अर्थात् कारी बीटी कहते हैं अब यह समाप्त हो चुका है।

2. निलंबकारी → राष्ट्रपति अब पुनर्विचार के लिए जाँचते हैं।

3. Pocket / जैव बिटी → अब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ने अपना हस्ताक्षर दर्ज नहीं उसे पुनर्विचार के लिए जाँचाया है। बल्कि उसे अपने ही पास रख ले, तो उसे Pocket बीटी कहते हैं।

⇒ ताक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी अंने सिंह ने जैव बीटी का उपयोग किया है।

* विशेषाधिकार शक्ति → राष्ट्रपति पर दिवानी मुकदमा चलाया जा सकता है किन्तु फौजिकारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं नहीं चलाया जा सकता है।

कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा। अर्थात् यह
अनुच्छेद 14 का ~~अ~~ उल्लंघन है।


⇒ राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविधालय के महाकुलाधिपति
होते हैं।

अनुच्छेद - 61 → राष्ट्रपति का महानियोग → महानियोग वाले केवल
राष्ट्रपति के लिए ~~महानियोग~~ प्रयोग हो सकता है यह प्रक्रिया
U.S.A के संविधान से लिया गया है अब तक किसी
राष्ट्रपति पर महानियोग नहीं लगाया गया है।

राष्ट्रपति पर महानियोग किसी
भी सदन से प्रारंभ हो सकता है जिस सदन से महानियोग
प्रारंभ करना है। उस सदन का 1/4 (२५.) सदस्य
अनुमतिदित करेंगे। अनुमतिन मिलने के बाद वह सदन
2/3 बहुमत से महानियोग को पारित करेंगे।

⇒ अब एक सदन महानियोग पारित कर देता है तो
दूसरा सदन मे नेजरे से 14 दिन पूर्व इसकी सुचना
राष्ट्रपति को दी जाती है।

उपराष्ट्रपति



- * अनुच्छेद 63: → ~~उपराष्ट्रपति~~ की संकल्पना का राष्ट्रपति के पद की चर्चा है जो U.S.A के दोवित्वान से ली गई है।
- * अनुच्छेद 64 → राष्ट्रपति ही राज्यसभा का समापति होता है किन्तु वह राज्य सभा का सदस्य भी होगा है। उपराष्ट्रपति को वेसब समापति होने के बारे विद्या आता है।
- * अनुच्छेद 65 → राष्ट्रपति के अनुपरिधियती में उपराष्ट्रपति ही कार्यवालक राष्ट्रपति का कार्य करता है वह दोऽरन वह राष्ट्रपति के सभी शाक्तियों का प्रयोग करेगा। किन्तु इस दोऽरन वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा।
- * अनुच्छेद 66: → उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है।

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के होने सकन के सभी सदस्य भाग लेते हैं वह भवित्व में था निर्वाचित।

⇒ राज्य के विधानमण्डल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वडे होने के लिए योग्यता।

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) ~~एक~~ पांचल या दिवालियों न हो।
- (3) 35 वर्ष आयु का हो।
- (4) जाम के पद पर न हो।
- (5) 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक हो।
- (6) 15000 रुपया अमानत कि राशि हो।
- (7) राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता।

* अनुच्छेद 67 → राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि के लिए किन्तु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह तब तक अपने पद पर रहेगा। अब तक ~~उत्तराधिकारी~~ उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो सके। 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।


* उपराष्ट्रपति पर महाभियोग :

यह राज्य सभा का समाप्ति होता है। इसी कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्य सभा से ही प्रारंभ होगा।

⇒ महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4(25.) मत की आवश्यकता है। अब राज्य सभा इसे पारित कर देते हैं तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पुर्व इसकी सुचना उपराष्ट्रीय को दी जाती है। ताकि वह अपनी बात रख

सके अदी लौकसमा का $\frac{2}{3}$ (66%) से भत पारित कर देती है तो उसे हटा दिया जाता है।

⇒ अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महानियोग नहीं लगा है।




* अनुच्छेद 68 → उपराष्ट्रपति के धुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है अचान्त इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है।

* अनुच्छेद 69 ⇒ उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है।

* अनुच्छेद 70 → वैसा आकस्मिक स्थिति भी सकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा।

⇒ → धुनाव स्वस्थय, अपहरण इत्यादी।



- * अनुच्छेद - 71 → राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुनीम कीट में सुलझाया जाएगा।
 - * अनुच्छेद - 72 → राष्ट्रपति के विनियन प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ हैं।
 - * अनुच्छेद .73 → संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा।
 - * अनुच्छेद .74 → राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगा। जिसका अध्यक्ष P.M होगा। अर्थात् मंत्रीपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है।
 - * अनुच्छेद .75 → मंत्रियों के बारे में छव्य उपवंश (अवस्था) अर्थात् मंत्रियों की विवृति P.M के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।
- ⇒ 1861 ई० से भारत में लाई कैनिन ने विभागीय प्रणाली (पीट पोलियो) लागू कर दिया।

इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों का अलग-अलग विभाग में बॉट दिया। इसे मंत्रियों को सौंप दिया।

मंत्रीपरिषद् (Council of minister)

⇒ इसमें 4 प्रकार के मंत्री दहते हैं।

1. कैबिनेट मंत्री → यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी खेलों लेने के लिए स्वतंत्र है।
2. राज्यमंत्री → प्रत्येक विभाग में एक राज्यमंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री का सहायक है। यह हर एक राज्य में नहीं होता है। यह हर एक विभाग में होता है।
3. राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रमार) → जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उस विभाग के राज्यमंत्री को स्वतंत्र प्रमार कहा जाता है।
⇒ यह कैबिनेट मंत्री के घरावर शक्ति रखता है। जब कैबिनेट मंत्री वापस आता है तो यह पुनः राज्यमंत्री का खप ले लेता है।
4. अपमंत्री → यह सबसे हीटे स्तर का मंत्री है। यह राज्यमंत्री कि सहायता करता है।

Remark → जब किसी विभाग को छुस्दे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रमार कहते हैं।

मंत्रीमण्डल [Group of Minister] ⇒

इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं।
इसमें कैविनेट मंत्री तथा राज्यमंत्री स्वर्तंत्र प्रमार आते हैं।

⇒ मंत्रीमण्डल बाब्क का सर्वप्रथम प्रयोग अनुसन्धान 352 में है।


Note:

Prime minister मंत्रीमण्डल तथा मंत्रीपरिषद् दोनों का अहम्यग्नि होता है।


सुपर कैबिनेट ÷ अर्थशास्त्री "K संशानन" ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है।

* किंचन कैबिनेट → प्रधानमंत्री के सो सम्बंधियों की किंचन कैबिनेट कहा जाता है।

Council of Minister



Group of Minister



- ⇒ मंत्री परिषद में विभाग वितरण P.M के इच्छानुसार होती है।
- ⇒ यह लोकसभा के प्रति अवरदायी होता है जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का ही सकता है। वह लोकसभा में बैठ सकता है किन्तु मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है।
- ⇒ मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति अवरदायी होता है।
- ⇒ मंत्री परिषद का अध्यक्ष PM होता है। अतः PM के सूत्र व्याग पत्र से मंत्री परिषद मंग होता है। और जब नया PM चुना जाए तो उस स्थिति में लोकसभा भी नहीं होती है। अर्थात् दुवारा चुनाव नहीं होता।
- ⇒ दुबारा चुनाव तभी होता है जब बहुमत (2/3) शीट कम पर जाएगी।
- ⇒ बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है।
- ⇒ B.J.P के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन National Democratic Alliance [राष्ट्रीय अनार्किक गठबंधन (रजा, NDA)] है।

सहायक दल: →

- बिकासना (मध्यराष्ट्र)
- अकाली दल (पंजाब)
- JDU (बिहार)
- लोजपा (बिहार)

NDA 1 → 2004 — 19

NDA 2 → 2019 — 24

United Progressive Alliance [संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संपर्ग]

⇒ कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन U.P.A

केन्द्रिय है

- Congress
- B.S.P (U.P)
- S.P (U.P)
- R.J.D (BIHAR)

U.P A1 → 2004 - 09

U.P A2 → 2009 — 2019

⇒ U.P.A या NDA के आलावा बनाया गया गठबंधन तीसरा मर्ची है
* प्रधानमंत्री की शक्तियों → ये योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद्, राष्ट्रीय एकता परिषद् मंत्रीमंडल तथा मंत्रीपरिषद् राष्ट्रीय एकता परिषद् मंत्रीमण्डल तथा मंत्रीपरिषद् काह्यक होते हैं

= P.M CAG, महान्यायवादी मंत्री etc के न्यूक्ति सम्बंधी सिफारिस राष्ट्रपति के मेजे हैं।

⇒ "मोरले नामक विद्यान ने P.M की समकक्षी में सबसे प्रथम कहा है"

⇒ म्युर नामक विद्यान ने राज्यरूपी अहाज का स्टैटिंग लील मंत्री मण्डल को कहा जाता है

Note → विना संसद के सदस्य बोहे ही कोई व्यक्ति है: भाषा नक P.M या मंत्री रह सकता है। किन्तु हृषि भाषा के अतिर छ्ये संसद की सदस्यता लेनी होगी।

"उपप्रधानमंत्री"

⇒ इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है। इष्ट राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है।

⇒ जब P.M देश से बाहर रहते हैं तो उपप्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं।

⇒ जब उपप्रधानमंत्री नहीं रहता है तो उच्चमंत्री देश पर नियंत्रण रखता है।

⇒ अब तक सात उपप्रधानमंत्री बने हैं।

1. सरदार पटेल
2. भीरारजी देसाई
3. चौधरी चरण सिंह
4. अगाजीकन राम
5. B.B चौहान
6. हेवी लाल
7. लाल कृष्ण आडवाणी

महान्यायवादी (Attorney General) : इसकी चर्चा

अनुच्छेद ७८ मे है यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि (भाधिकारी कानूनी सलाहकार) होता है।

यह संसद का सहस्य नहीं होता है किन्तु कार्यवाही मे भाग लेता है यह मतदान नहीं कर सकता है।

⇒ यह पूर्णकालिका (पूर्वी के लिए) नहीं होता है।

⇒ बल्कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त (इच्छानुसार) होता है जिस कारण यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लेड़ सकता है।

⇒ इन्हे वैतन संचित निधि से नहीं मिलता है बल्कि प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है।


⇒ केंद्र सरकार वर किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी लड़ता है।

⇒ यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय मे लड़ सकता है। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है।

इसी Solicty General सहायक होता है।

S.G की Additional Solicty General सहायता होता है।

⇒ वर्तमान महान्यायवादी KK वेणुगोपल है।



अनुच्छेद - ७७ → केन्द्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा सम्पन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आवान और बनाने के लिए कानून बना सकते हैं।

अनुच्छेद ७८ → PM का यह कर्तव्य होगा कि संसद के कार्यवाधी की जागकारी राष्ट्रपति को ही + AG,

अनुच्छेद - ७९

संसद → संसद भवन का निर्माण उचित बुटियन्स, वैर्कर्ड ने किया। Parliament शब्द प्रांसु में लिया गया है। जब कि संसद की जानी U.I.C को कहते हैं।


संसद के ३ हिंगाहें लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति
⇒ संसद के हो सकते हैं।

लोकसभा और राज्यसभा

संसद किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि था समझौता को किसी भी राज्य में लागु कर सकता है विना उस राज्य के अनुमति के।

- ⇒ संसद के बिच का भाग Central hall कहलाता है। विदेशी अविधि Central hall में ही भाषण देते हैं।
- ⇒ संविधान का निर्माण Central hall में ही बैठक हुआ है।
- ⇒ इसमें 1000 तक आधी बैठक सकता है।

संसद संसद



⇒ यह 1927 ई० में बना शुरू हुआ।

राज्यसभा

- ⇒ इसका विधान नहीं हो सकता है। जिस कारण इसे स्थायी/उच्च सदन कहते हैं।
- ⇒ इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। अतः इसे अप्रत्यक्ष भवदान कहा जाता है।
- ⇒ इसमें मंत्रीमंडल नहीं बैठते हैं। और नहीं इसके वृद्धमत के आधार पर P.M. बनते हैं। अतः इसे द्वितीय सदन कहते हैं।
- ⇒ किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लें सकता है।

⇒ मनमोहन सिंह पंजाव के ही जब कि वह असम
से चुनाव लड़े थे।

⇒ राज्यसभा की चर्चा "अनुच्छेद-४०" में ही जब कि
अनुच्छेद ४०(क) के तहत शपथपती इसमें १२ सदस्यों का
मनोनयन कर देते हैं जो विज्ञान कला सहित्य
के क्षेत्र में आद्दे हो।

⇒ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है: वर्ष का होता है
किन्तु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एकही कार्यमें
नहीं होता है बल्कि प्रत्येक दो वर्ष वाले 1/3 सदस्यों
का निर्वाचन होता है।

$$R.S = 6 \text{ वर्ष} (2 \text{ वर्ष पर चुनाव})$$

1/3
सदस्य

1/3 सदस्य

1/3 सदस्य

2010 → 2वर्ष → 2012 → 2वर्ष → 2014

2016 → 2वर्ष → 2018 → 2वर्ष → 2020

⇒ राज्य में अधिकतम २५० सदस्य होते हैं किन्तु P.O.K पर
पाकिस्तान के कानून के कारण वर्तमान संख्या - २४५
है।

⇒ राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या (२५५ - १२) २३३ हैं।

⇒ राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता -

1. भारत का नागरिक हो।

2. पांगल दिवालियों न हो।

3. किसी लाभ के पर पर न हो।

4. कम से कम 30 वर्ष सायु का हो।

⇒ राज्यसभा को शिक्षित तथा वृद्धों का सद्बन्ध करता है।

⇒ राज्यसभा की पहली बैठक 3 APR 1952 को हुई थी
उस समय इसका नाम Council of State था।

⇒ 3 Aug 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया।

राज्यसभा की विशिष्ट क्षक्तियाँ :-

1. उपराष्ट्रपति पर महानियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है।

2. जब लोकसभा भी रखी हो तो आपात का अनुमोदन
राज्यसभा से ही होता है।

3. अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसुची के विषय में कानून
बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों
मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देती है।

4. अनुच्छेद 212 के तहत नई अधिक भारतीय सेवा के सूजन
(निर्माण) का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है।
दोनों मिलकर इस देवा का सूजन करते हैं।

पृ- भारतीय वैद्य सेवा।

राज्यसभा की कमज़ोरी → 1. बजार लोकसभा में प्रदूषत होता है।

राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं शेक सकती है।

(2.) मंत्रीघरिष्ठ राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।

(3.) यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संवृक्त अधिकेशन
में लोकसभा कि संरक्षा बल अधिक होती है।


④ अस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार पारित
हो जाता है।

लोकसभा (अनुच्छेद-४०)

- ⇒ इसका उर्ग से पुर्व भी विधरन हो सकता है जिस काले इसे स्थायी था निम्न सदन कहते हैं।
- ⇒ इसके बहुमत के आधार पर P.M बनते हैं तथा मंजीपरिषद् लोकसभा में बैठता है इसे इस प्रथम सदन कहते हैं।
- ⇒ इसका चुनाव जनता सीधे करती है अरु इसे ~~अमेरिका~~ फ्रांस सदन कहते हैं इसे जनता का सदन भी कहते हैं।
- ⇒ भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है।
- ⇒ एक ही व्यक्ति दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है किन्तु यदि दोनों से भी जीत गया तो एक सीट से व्यापत्र देना होता है।
→ नरेन्द्र मोदी = बरौदा (व्यापत्र) बनारस
- Note → जब एक सीट से व्यापत्र होगा तो खाली सीट पर कराया जया। चुनाव "उपचुनाव" कहलाता है जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है तथा हाँ माह के भीतर कराना होगा।
- ⇒ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ७ योग्यता
 १. भारत का नागरिक हो।
 २. पांगल, दिवालीयाँ एवं लाल के पद पर न हो।
 ३. आयु २५ वर्ष हो अतः लोकसभा को घुवाओं का सदन कहते हैं।
- ⇒ लोकसभा की पहली बैठक १९८४ ईं हुई उस समय इसका नाम House of People था।
 १९८४ में इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया।

Note → संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों कि शक्तिया समान हैं।


संसद अनुच्छेद - ८७



विधित नहीं होता है \leftrightarrow विधित होता है
 राज्य/ उच्च सदन \leftrightarrow अस्थाई/ निम्न सदन
 अप्रत्यक्ष \leftrightarrow प्रत्यक्ष
 शिक्षितों का सदन \leftrightarrow अनियंत्रितों का सदन
~~जनकालीन~~ वृद्धों का सदन (५५%) \leftrightarrow श्रवाओं का सदन (२५%)
 द्वितीय सदन \leftrightarrow प्रथम सदन मंगी
 मंगी नहीं बैठते हैं \leftrightarrow मंगी बैठते हैं
 12 सदस्य (मनोनित) \leftrightarrow 2 Anglo India (मनोनित)

"अनुच्छेद-८२" \rightarrow प्रत्येक जणना के बाद सिरों का समायोजन
 10 लाख जनगणना पर एक संसद कि व्यवस्था है।
 19८१ कि जनगणना पर आधारित है।
 2002 में 84वे संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि ~~जनकालीन~~ लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटे 2026 तक नहीं बढ़ली जाएंगी। अब यह बढ़ली जाएंगी तो 2001 कि जनगणना पर आधारित होंगा।
 यह व्यवस्था कुल दीप सींह समीरि हारा की गई शी।

लोकसभा Seet




"अनुच्छेद - ४३" → सदन कि अवधि कि चर्चा हीं राज्यसभा
संघीय सदन है अब कि लोकसभा कि अवधि ८ वर्ष है

अनुच्छेद - ४४ → संसद की योग्यता है

1. भारत के नागरिक हो।

2. पांगल दिवालीया तथा लाल के पढ़ परन हो।

3. लोकसभा के लिए २५ वर्ष तथा राज्यसभा
के लिए ३० वर्ष आयु हो।



अनुच्छेद - ४५: इसमे सत्र के लिए आहुत (तुलाना) तथा
सत्रावसान (सत्र खल) कि चर्चा है।

सत्र का आहुत: → राष्ट्रपति अब विधीयक बनाने के लिए
LS तथा RS के सदस्यों को तुलाते हैं तो उसे
सत्र आहुत कहते हैं।

सत्रावसान: → यह योनो सदन कानून बनाते हैं तो
राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हे वापस आपने
द्वारा मेरेज देता है।

कार्यवाही स्थगित → अनुशासन हीनता तथा शोरशादारी के कारण

संसद की कार्यवाही कुछ घटा या कुछ दिनों के लिए स्थगित L.T के अध्यक्ष तथा R.T के समाप्ति करते हैं।

विधिटन: → R.T का विधिटन नहीं होता है वल्कि L.T का विधिटन होता है। L.T का समय से पूर्व (5 वर्ष) समाप्त हो जाना विधिटन कहलाता है।

=> यदि बहुमत (2/3 सीट) न हो या बहुमत के P.M मंत्रीमंत्रिल से प्रत्याव पारित करके L.T को मंग विधिटि कर सकते हैं।

* "संसद के सभ" → भारतीय संसद के तीन सभ हैं
भारत सभा संवाद सभा

1. बजट सभ - (Feb — May) बड़ा सभ

2. मानसुन सभ - (July — Aug)

3. अतिकालीन सभ (Nov — Dec) होया सभ

Remark → संसद के किन्हीं दो सभों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है।

=> अब संसद का सभ नहीं रहा है नव अध्याई कानून राष्ट्रपति बनाता है।

अनुच्छेद - 86

राष्ट्रपति का अधिकाधा → राष्ट्रपति का अधिकाधा

प्रत्येक वर्ष संसद कि पहली बैठक अर्थात्

जहां सब कि पहली बैठक मे दोनों सदनों को संधुक्त रूप से सम्बोधित करते हैं

=> राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्री मंडल द्वारा लिखा जाता है

अनुच्छेद-४७

राष्ट्रपति का किंषु अभिभाषण → ५ वर्ष के बाद नवनिर्वाचित LS कि पहली बैठक को संधुक्त रूप से राष्ट्रपति सम्बोधित करते हैं।

=> यह किसी भी सब मे हो सकता है।

अनुच्छेद-४८ - सदन मे मंत्री तथा महान्यायवादी तथा

किंषु प्रवधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन मे वील सकता है किन्तु महान्यायवादी मनकान नहीं कर सकता है मंत्री अपने सदन मे आकर vote करता है। जिस सदन का कह सदस्य होता है।

अनुच्छेद ४९ → इसमे राजसभा के समाप्ति तथा उपसमाप्ति कि चर्चा होती है।

=> राजसभा का समाप्ति किसी भी सदन का सदस्य भी होता क्योंकि कह भारत का उपराष्ट्रपत्री होता है।

=> समाप्ति राजसभा का पद्धन (सर्वेक्षण) होता है

अर्थात् राजसभा

मे कह सर्विधि होता है।

=> समाप्ति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं किन्तु अब पश्च तथा विपक्ष छा मत बराबर हो तो समाप्ति अपना मत देते हैं उनका मत निर्णय ला देता है।

देता है जिसे निर्णयिक मत कहते हैं।

- ⇒ समापति के अनुपस्थिति में उपसमापति कार्य करते हैं।
किन्तु वह अवश्यपति का कार्य नहीं करता है।
- ⇒ राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसमापति का चुनाव है।
अतः उपसमापति राज्यसभा का सदस्य होता है।

Remark → जब समापति तथा उपसमापति दोनों अनुपस्थित
रहे तो राज्यसभा में सेवा वरिष्ठ सदस्य में से
राष्ट्रपति हारा चुना गया व्यक्ति अत्याई समापति रहता।

अनुच्छेद १३ → इसमें LS के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की
चरा है LS अपने सदस्यों में से ही एक के
अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेती है।

- ⇒ अध्यक्ष लोकसभा का पैदेन होता है।
- ⇒ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही LS के सदस्य
होते हैं इन्हें हारा के लिए LS को प्रस्ताव
पारित करना होता है।

protein speaker → यह अत्याई अध्यक्ष होता है।
यह नवनिर्विचन सदस्यों को अपश्च दिलाता है।
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्विचन करता है।

- ⇒ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते हैं।
विकि एक समान्य सदस्य के रूप में
protein speaker हारा शपथ ले लेता है।

⇒ जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है।
तो protein speaker हो जाता है।

⇒ protein speaker उसे बनाया जाता है जो LS में
वरिष्ठ होता है।

अध्यक्ष की शक्तियाँ → लोकसभा के वेठक को नियंत्रित
करता है।

2. कोई विधायक घन विधायक है या नहीं इसका विवरण
speaker करता है।

3. लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष में अधीन होता है।

4. विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि की नाम के
संयुक्त speaker करते हैं।

5. गणधर्म (1/10 शीर) के अमावश्यक में LS के कार्यवाही
को अध्यक्ष रूप देता है।

6. संयुक्त अधिकारी की अध्यक्षता LS अध्यक्ष करते हैं।

7. संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की न्यूनता
अध्यक्ष करते हैं।

8. अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं किन्तु पूछ
तथा विपक्ष में मत बराबर होने पर निर्णयक मत
देता है।

अध्यक्ष की दृष्टात्मक शक्तियाँ :-

1. अनुशासन हीनता करने पर सदस्य को निर्णयित कर देते हैं।

2. यदि कोई सदस्य विना अनुमति के लगातार 60 दिनों
तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देती है।

3. दल-बंदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देती है।

अनुच्छेद - 98 → संसद का सचिवालय

अनुच्छेद - 99 → संसदी के वापश की चर्चा।

अनुच्छेद - 100 →

गोपनी (corn) :-

किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए
1/40 सदस्य का होना आवश्यक है।

इसके अमाव में समापति / अध्यक्ष सदस्य की
कार्यवाही रोक देते हैं।

Remark → अध्यक्ष उपाध्यक्ष, समापति, उपसमापति तथा
CAG होने संसद को आधिकारी कहा जाता है।

संसदीय समीतियाँ → इन समीतियों के सदस्य का नियन्त्रि
LS का अध्यक्ष करते हैं।

⇒ "स्थाई समीति" फ्रेंच वर्ष गढ़ित की जाती है। इसका
कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।

⇒ "स्थाई समीति" तीन प्रकार के होते हैं।

1. प्राकलन समीति → यह घन निकालने के लिए बजट
तैयार करती है सबसे बड़ी स्थाई समीति है।
इसमें LS के सदस्य नहीं बहते हैं केवल LS
के 30 सदस्य होते हैं।

2. नोक लेवा समीति → बजट होरा निकाले गए घन की
जांच करती है इसे प्राकलन समीति की जुड़वा
बहन कहते हैं।

- ⇒ इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है
- ⇒ इसमें L.S से 15 तथा R.S से 7 सदस्य आते हैं अर्थात् कुल कुल 22 सदस्य आते हैं


④ २) सरकारी उपक्रम समीति → यह सरकारी कंपनी जैसे NTPC, BSNL इत्यादी कम्पनियों की जाँच करती हैं इसमें L.S से 15 तथा R.S से 7 सदस्य होते हैं अर्थात् कुल 22 सदस्य होते हैं

* अस्थाई समीति : इसका गठन विशेष परिषिकियों द्वारा किया जाता है इसे अस्थाई समीति कहते हैं यह दो प्रकार की होती है।

१. प्रवल समीति : यह विवाहित विद्युतिक पर गठन जाँच करती है इसमें 7 तथा R.S के अलग-2 सदस्य द्वारा कार्य किया जाता है L.S से 30 तथा R.S से 7 सदस्य होते हैं

④ Eg— G.T की जाँच

२. संघकर्त प्रवल समीति : किसी छोटाले की जाँच करता है जि → बोर्ड नीप छोटाला



* संसद के विभिन्न प्रकार ->

1. प्रताव → संसद को ही जड़ि लिखित अनकारी प्रताव कहलाता है।
2. विधेयक → अब किसी प्रताव पर संसद में चर्चा हो जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है।
3. कानून → अब किसी विधेयक पर LS, RS तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए तो उसे कानून कहते हैं।
4. अधिनियम → किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थाई कानून अधिनियम / अध्यादेश कहलाता है।
5. विशेषाधिकार प्रताव → किसी मंत्री से स्पष्ट अनकारी प्रपू करने के लिए विशेषाधिकार प्रताव कहलाता है।
6. दृश्याना प्रताव → किसी अकरी मुद्रे पर मंत्री का दृश्याना आवश्यित करने के लिए लाया जाता है इसे लाने के बाद मंत्री को स्पष्टीकरण देना होता है।
7. कार्यस्थगन प्रताव → किसी आपातकालीन या अविलंबनीय मुद्रे पर चर्चा करने के इसे लाया जाता है इसे लाने पर संसद में पहले से चल रही कार्यकारी को रोक दिया जाता है आपातकालीन मुद्रे पर चर्चा कि आगे है।
Ex - विदेशी आक्रमण
8. कर्तवी प्रताव → सरकार अब कजट से अधिक धन की चर्चा कर देता है तो विपक्ष उसे कम करने के लिए यह लाता है।

10. नीदि प्रस्ताव → जब कोई मंत्री अपने कार्यों को टूक से नहीं करता है तो उसके विषय में नीदि प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव पारित होने पर उस मंत्री की व्याप्ति पत्र देना होता है।

यदि पुरे मंत्रीपरिषद् के विषय में नीदि प्रस्ताव हो जाए तो पुरे मंत्रीपरिषद् को हटाना होता है।

यह आविश्वास प्रस्ताव के समान हो जाता है।

(11) अविश्वास प्रस्ताव = बहुमत या विश्वास मत (273 सीट) के बावजूद होता है जब किसी party के पास 273 सीट से कम हो तो उसके विषय में आविश्वास प्रस्ताव लाया जाया।

यह प्रस्ताव लाने पर उस सरकार को 273 सीट दिखाने होते हैं। यह प्रस्ताव लाने पर उस सरकारी को 273 सीट दिखानी होती है। यदि 273 सीट पुरी नहीं हो पायी तो सरकार को हटा दिया जाता है।

Ex- अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार इस प्रस्ताव के कारण 13 दिनों में गिर गई थी।

इस प्रस्ताव को लाने पर इसकी सुचना 10 दिनों पहले देनी होती है।

* संसद की कार्यवाही

1. प्रश्नकाल → 11:00 Am से 12:00 Am → ये संसद का पहला घण्टा होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पुछे जाते हैं।

2. तारंकित प्रश्न = यह मौखिक पुछे जाते हैं। इधर के स्पष्टीकरण के लिए पुरक प्रश्न भी पुछे जाते हैं।

पुरक प्रश्न की अधिकतम संख्या होती है

b. आंतराळित प्रश्न → यह लिखित में पुढ़े जाते हैं जिसे
कारण 10 दिन पुर्व सुचना दी जाती है। इसमें पुरक
प्रश्न नहीं पुढ़े जाते हैं।

2. क्षुब्धकाल → 12:00 से 1:00 PM → संसद का दृसठ घटा
होता है। इसमें कोई भी नियम कानून नहीं लागू
होता है। यह नाम 'न्यायिक मीडिया' ने दिया है।


3. Lunch = 1:00 से 2:00 PM → संसद भौजन IRCTC
करवाती है।

Note → Lunch के बाद उन सांसदों को बैलने का मौका
दिया जाता है। जिन्हें मौका नहीं मिला था।

⇒ North Block में वित्त मंत्रालय, एवं मंत्रालय

⇒ South Block में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) हैं जो अधिक शक्तिशाली हैं।

⇒ India Gate का निर्माण 1921 में लूटिन ने
करवाया था। जो प्रथम विश्वयुद्ध में मारे गए
छत्तीस राजा सेनियों के लिए याद में था।



क्षमता - 108

- संयुक्त अधिकारीन : यह नब बुलाया जाता है।
 अब दोनों सदनों में विवाद हो जाए उसे राष्ट्रपति बुलाते हैं।
 इसकी अध्यक्षता LS का Speaker करता है।
 => दोनों परिस्थितियों में इस बुलाया जाता है।
1. एक सदन हारा पारित विधेयक को दूसरा सदन पारित न करें।
 2. एक सदन हारा पारित विधेयक को दूसरा सदन है।
 माह से आधिक देर तक रोकें।
 3. एक सदन हारा दिया गया युजाव दूसरा सदन
 मानने से इंकार करें।

Remark → संविधान संशोधन तथा घन विधेयक पर संयुक्त अधिकेशन नहीं का सकर्ता है।

⇒ अब तक तीन बार संयुक्त अधिकेशन बुलाया गया है।

1. दृष्टि अधिनियम ————— 1961

2. कौटिंग ————— 1978

3. POTA ————— 2001

अनुदृष्टि - 109 → घन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रम

1. यह पहले L.S से ही प्रारंभ होता है।

2. यह R.S द्वारा 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है।

3. घन विधेयक पर दिया गया प्रस्ताव L.S मानने के लिए वाद्य नहीं है।

4. कोई विधेयक घन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण L.S अद्यता करता है।

5. यह विधेयक राष्ट्रपति के पुर्व अनुमति से आता है।
अतः इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं जोड़ा सकते हैं।

अनुदृष्टि - 110,

इसमें घन विधेयक कि परिमाण ही उसके अनुसार संवित निष्ठी (संरक्षकी वाता) परिमाण पर होने वाला विधेयक घन विधेयक कहलाता है किसी ^{Tax} को बढ़ाने या घटाने वाला विधेयक इसी के सन्तर्गत आता है।

अनुदृष्टि - 111 → विधेयक पर राष्ट्रपति कि अनुमति किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के प्रतिवर्त की प्रतिक्रिया

करते हैं।

1. विधेयक को रद्द करते हैं — 42 वाँ संशोधन द्वारा यह अधिकार हीन लिया गया।

2. पुनर्विचार → विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यह अधिकार 44 वाँ संशोधन द्वारा दिया गया।

3. विधेयक पर जैवी बीटे कर सकते हैं।

* अनुच्छेद - 118 →

इसमें बजट कि चर्चा है। बजट का अर्थ होता है - चमड़े का थैला।

- चर्चा नहीं है। इसके स्थान पर भारिक वित्तीय विवरण संविधान में बजट शाफ्ट की की चर्चा है।

⇒ बजट LS में पहले प्रस्तुत होता है।

⇒ बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किन्तु ये वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से इसे प्रस्तुत करवाते हैं।

⇒ बजट में केवल इस बात की चर्चा की जाती है कि कौन-कौन से वित्तालम्बक कार्यों को करना है। बजट द्वारा धन नहीं निकलता है।

अनुच्छेद - 113 :-

प्राकलन :-

बजट में किये जाए

विधानाभी पर कितना खर्च आएगा। इस खर्च कि

प्रकल्प में किया गया है।

अनुच्छेद - 114

विनियोग विधेयक :- प्राकल्प में बताये गए धन को निकलने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है।

⇒ जब तक विनियोग पारित न हो आए तब तक धन नहीं निकल सकता।

संसद को राष्ट्रीय कोष (धन) का रक्क कहा जाता है।

अनुच्छेद - 115 →

आतिरिक्त / अनुप्रुक्त अनुदान →

विनियोग विधेयक हारा दिया गया धन महंगाई बढ़ने के कारण कम पड़ जाता है जिस कारण काम उक आता है अतः पुरा काम करने के लिए आतिरिक्त धन को आतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक से लिया जाता है।

e.g. - पारलीपुरा में बनवे गाला दिघापुरा

अनुच्छेद - 116 →

लैबानुदान → विनियोग विधेयक पारित

करने में सरकार को समय लगता है अतः सरकार काम को अल्पी पर्याम करने के लिए लैबानुदान के माह्यम से कुछ Advance पैसे निकाल डेती है।

⇒ कभी-कभी लैबानुदान तो पारित हो जाती है किन्तु विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है जिस कारण

काम अधुरा पड़ जाता है।

अनुच्छेद - 117

वित्त विधेयक: → आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य finance Bill कहलाता है। यह L.S तथा R.S दोनों में प्रस्तुत हो सकता है।

अनुच्छेद - 120

संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा →
संसद में केवल हिन्दी या English में प्रयोग हो सकता है। यदि किसी संसद वो ये दोनों भाषा न आये तो वह समाप्ति/अवृद्धि से अनुमति लेकर अपनी क्षेत्रीय भाषा में गोल सकता है।

अनुच्छेद - 121

संसद जजों के आचरण कार्य प्रणाली इत्यादि पर चर्चा नहीं कर सकता किन्तु उन पर महाभियोग लगा सकता है।

अनुच्छेद - 122

व्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं की जाएगी। किन्तु विधेयक संवैधानिक हैं या नहीं इसकी जाँच होगी।

अनुच्छेद - 123

राष्ट्रपति का अवृद्धि: → जब संसद का कोई सब न चल रहा हो तथा कोई अपारकालीन कानून कि भरत हो तो मंत्रिमंडल इसके सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थाई कानून बना लेते हैं जिसे

अध्यादेश कहते हैं।

- ⇒ राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है।
- ⇒ एक राष्ट्रपति चाहे जीतनी बार अध्यादेश ला सकता है।
- ⇒ अध्यादेश कि अधिकतम अवधि इः माह होती है।
क्योंकि दो सबों के बिच एक अधिकतम अंतराल
इः माह होता है।
- ⇒ यदी इस इः माह के भीतर कोई सब प्रांग हो
जाए तो अध्यादेश की अवधी मात्र 42 दिन
रह जाती है। इसे स्थायी कानून बनाने के लिए
42 दिन 16 माह के भीतर संसद द्वारा इसे पारित
करना होगा। अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा।

"सर्वोच्च / उच्चतम न्यायालय"

कानूनकृद - १४५ :-

इसमें SC के गठन की चर्चा हैं SC में
 $30+1=31$ जज बैठते हैं।

SC में जजों की संख्या बहुत
का अधिकार सांसद की है।

SC में जज बनाने के लिए मात्र के किसी
भी HC में 5 साल जज / 10 साल वर्किल साथ ही
राष्ट्रपति के नजर में कानून का अच्छा जानकार होना
चाहिए :-

SC में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
जज के न्यूक्ति के समय राष्ट्रपति कौलोजियम से
सलाह लेते हैं।

Remark →

SC के पांच senior जजों को कौलोजियम
कहते हैं।

जजों को हटाने के लिए महाभियोग
अंसी प्रक्रिया लानी होती है।

अब तक किसी जज को
महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है।

SC के जज 65 वर्ष तक कार्यरत
रहते हैं। ये अपना व्यागपत्र राष्ट्रपति की देते हैं।

अनुच्छेद-125:

जो का वेतनः जो को संवित
निधि से वेतन दिया जाता है जिसमें करोती नहीं
कि जाती है।

C.I. को 2.80 लाख रुपया दिया जाता है।
तथा अन्य जो को 2.50 लाख लाख रुपया दिया जाता है।

अनुच्छेद-126:

जब C.I. अनुपस्थित रहता है तो 50
जो में से ही एक मुख्य व्यायषीश बनता है।
जिसे कार्यकारी मुख्य व्यायषीश कहते हैं।
इसके वेतन शक्तियाँ
मते C.I. के बराबर होता है। किन्तु ये अध्यायी
होते हैं।

अनुच्छेद-127:

Ad Juide → इसका अर्थ होता है।
"इस. उद्देश्य के लिए" तर्फ व्यायषीश (Ad-Juide)
को नव कुलाया जाता है। जब S.C. में जो की
संख्या में कमी हो जाये तब इसे लाने कि सिफारिस
C.I. राष्ट्रपति से होते हैं। सिफारिस के अध्यार पर
राष्ट्रपति 25 H.C से Ad-Juide के लिए सिफारिस
करते हैं।

Ad Juide का वेतन मग्ना
तथा शक्ति S.C के भज के बराबर होते हैं।
किन्तु ये स्थायी जज नहीं होते हैं।

अनुच्छेद - 128 →

जब वह प्रांती उपलब्ध नहीं हो तो
सेवा निवृत्त S.C के जज को लाया जाता है।

अनुच्छेद - 129 →

S.C \oplus अमिलेप व्यायालय (नजीर) का
कार्य करती है। अर्थात् S.C का निर्णय किसी अन्य
मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया
जाता है ताकि व्याय जल्दी मिल जाएः।

अनुच्छेद - 130

S.C का स्थान → S.C दिल्ली में ही किन्तु
C.I.T के कहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ (Branch)
किसी अन्य शहर में भी खोल सकते हैं।

S.C के कुछ जो भी मामले की व्यापक
सुनवायी के लिए हैटराबाद तथा जम्मू काश्मीर में
अस्थायी खंडपीठ डाला था।

अनुच्छेद - 131 →

S.C की प्रारम्भिक / मूल अधिकारिता

इसके अंतर्गत ऐसे मामले को खेते हैं जो केवल S.C
में सुलझाए जा सकते हैं।

इसमें तीन मुकदमे आते हैं

1. केन्द्र राज्य विवाद

2. राज्य - राज्य ..

3. एक और केन्द्र, एवं उसके साथ कुछ

अन्य राज्य तथा दुसरी और अन्य राज्य

विवाद |

Note → राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी शीघ्रे SC में जाता है किन्तु इसे मूल अधिकारिता में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद-म। में है।

अनुच्छेद-132 → H.C से SC में अपील करने का अधिकार।

अनुच्छेद-137 → व्यायिक पुनर्वालोकन आर्थि. SC अपने ही फैसले को बदल सकती है।

Eg → S.C ने चम्पकन देहराड़ राजन मामला (1960) तथा वेल्वरी मामला (1960) में यह प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, किन्तु केशवानंद भारती मामले में ६० में व्यायिक पुनर्वालोकन का प्रयोग करके अपने फैसले को बदल दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया और कहा कि संसद इसमें संक्षेपित कर सकती है साथ ही S.C ने मूलदाचा का सिर्फ़ दिया कहा कि संसद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जिसमें कि संविधान का मूल दाचा प्रभावित हो। इसी कारण आज भी केवल अनुच्छेद-395 ही इसमें A, B, C, D करके जोड़ा जाया है।

अनुच्छेद-139 → मूल अधिकार के अलावे किसी अन्य मामले पर शीट निकालना हो तो SC अनुच्छेद-32 का प्रयोग न करके अनुच्छेद-139 का प्रयोग करेगी।

Eg - सरकारी मालवार पर परमाण्डा शीट जारी करना हो तो अनुच्छेद-३२ के अन्वर्गत होगा।

जब कि ऐसे किसी कर्मचारी पर शीट जारी करना हो तो अनुच्छेद १३७ का प्रयोग होगा।

अनुच्छेद-१४१:

S.C का निर्णय भारत के सभी न्यायालय पर वाह्य है।

यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात नहीं मानता है तो उसे अवमानना समझकर न्यायालय उसे दण्डित कर देगा।

अनुच्छेद-१४३:

राष्ट्रपति किसी मुकदमे पर SC से सलाह मांग सकते हैं लेकिन उस सलाह की मानने के लिए वे वाह्य नहीं हैं।

⇒ १९९३ में राष्ट्रपति डॉ. शंकर द्याल शर्मा ने बाबरी मस्जिद राजभूमि पर सलाह मांगा। किन्तु न्यायालय ने कोई सलाह नहीं दिया। अर्थात् सलाह देने से मना कर दिया।

⇒ १८ संविधान का अंतिम व्याख्या करता है यह एक निष्पक्ष तथा स्वायत्त संस्था है। यह अपनी स्वायत्त निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी नियुक्तियाँ स्वयं करता है। SC या अन्य संस्था द्वारा नहीं करती है।

⇒ SC के कर्मचारियों की पदोन्नति निलंबन तथा स्थानांतरण स्वयं SC करती है। कर्मचारी तथा जजो का वैत्तन संघित नियी से दिया

जाता है) इसमें कर्तृति नहीं कर सकती है।

C.A.G [Comptroller & Auditor General] :-

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

⇒ C.A.G की चर्चा अनुच्छेद - 148 से 151 तक है।

अनुच्छेद - 148 ⇒ इसमें C.A.G के पद की चर्चा है। C.A.G की नियुक्ति P.M के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं थृ 65 वर्ष आयु या 16 वर्ष तक कार्यकाल अपने पद पर रहते हैं।

ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्सेंट नहीं होते हैं बल्कि इन्हे हयाने के लिए मछलियों और प्रक्रिया लानी होती है।

ये अपना व्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं मंत्रीपरिषद का कोई सदत्य C.A.G नहीं हो सकता है।

अनुच्छेद - 149 ⇒ इसमें C.A.G की वाक्ति की चर्चा है। C.A.G भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। अर्थात्

केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी वर्ष के जाँच C.A.G कर देता है।

अनुच्छेद - 150 ⇒ C.A.G केन्द्र या राज्य द्वारा केवल लेखाभाग की जाँच कर सकता है।

अनुच्छेद - 151 → C.A.G कैफ़ तथा ~~लोक~~ राज्य के लोकाओं
की जांच की Report राष्ट्रपति को देता है।

Remark →

C.A.G की ~~जांच~~ Report को लोक लोक
समीति जांच करती है।



"माग-०६ (राज्य)"

⇒ यह माग में अनुच्छेद - 152 से शे २५४ तक हैं।

अनुच्छेद - 152 :-

"राज्य की परिमाणा" → राज्य के पास क्षेत्रफल जनसंख्या तथा व्यावरण ये तीनों चीजों होती हैं किन्तु सम्प्रभुता नहीं होती है जिस कारण उसे राज्य कहते हैं।

"राज्यपाल"



अनुच्छेद - 153 :-

राज्यपाल का पदः राज्यपाल का पद

क्षेत्र से किया जाता है प्रत्येक एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किन्तु ये राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। इस स्थिति में उसका वैतन उत्तरा ही होगा। किन्तु राष्ट्रपति के कानून पर दोनों राज्य मिल कर रहे।

अनुच्छेद - 154 :-

राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान

होता है किन्तु कह औपचारिक प्रधान होता है।

वास्तविक प्रधान CM होता है कार्यपालिका के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है जिसके राज्यपाल के अलग-2 शक्ति प्राप्त हैं।

1. कार्यकारी शक्ति → इसके अंतर्गत राज्यपाल, CM, मंत्रियों तथा विभिन्न पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं।
2. विधायी शक्ति → यह नियम कानून से सम्बंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमण्डल के सभ को बुलाते हैं। तथा सत्रावधान करते हैं ये विधेयक पर जब नक्त लक्षात्तर न कर दे विधेयक कानून नहीं बनता है।
3. वित्तीय शक्ति :-
इसके अन्तर्गत राज्यपाल Emergency fund से ऐसा निकाल सकता हैं पंचायती के वित्तीय स्थिती में सुधार के लिए "राज्य वित्त आयोग" का गठन करते हैं।

(4) घमादान शक्ति :-

अनुच्छेद - 161 के तहत राज्य राज्यपाल सजा माफ कर सकता है किन्तु सेना के कोटि की सजा तथा मृत्युदण्ड माफ नहीं कर सकता है।

(5) अपातकालीन शक्ति :-

राज्यपाल को अपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है किन्तु शब्दपति शासन के दौरान राज्य कि सभी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं।

6. विवेकाधिकार शक्ति → इसके अन्तर्गत राज्यपाल बिना किसी का सलाह लिए अपने विवेक करते हैं।
यह नब किया जाता है अब किसी को बहुमत ना मिले। इस स्थित में राज्यपाल किसी भी इल के नेग को CM बना देते हैं उसे 30 दिनों के भित्ति बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं।

7. विशेषाधिकार शक्ति → इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद - 14 के अपवाह स्वरूप कुछ विशेष अधिकार हैं।
राज्यपाल को उसके पढ़ के दौरान अपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का चांकल बुलायिपति होते हैं।

Remark → राष्ट्रपति के पास अब कोई विधेयक जाता है न वे उस विधेयक को या न एक बार लौटा सकता है था जेबी बीटे कर सकते हैं।

अब कि राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार लौटा सकता है।

जेबी बीटे कर सकता है तथा राष्ट्रपति को भेजने के लिए सुरक्षित रख सकता है।

अर्थात् राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से अधिक है।

अनुच्छेद - 155 → राज्यपाल के नियुक्ति की चर्चा है।
इसकी नियुक्ति P.M के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।

अनुच्छेद - 156 → राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल
नहीं होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद - पर्यन्त अपने
पद पर रहते हैं।

अनुच्छेद - 157 → राज्य की योग्यताएँ

1. भारत का नागरिक हो।
2. पांगल दिवालियाँ न हो।
3. लोभ के पद पर न हो।
4. कम से कम 35 वर्ष आयु हो।

अनुच्छेद - 158 :-

राज्यपाल के लिए शर्तें

1. वह विधानमण्डल / संसद का किसी भी सदन का
सदस्य न हो।
2. वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।
जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है।

अनुच्छेद - 159 → राज्यपाल को शपथ H.C के मुख्य व्याघटन
दिलाते हैं।

अनुच्छेद - 160 → ऐसी आकास्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान
में नहीं है उसे निर्मित करने के लिए राष्ट्रपति
राज्यपाल को बोल सकते हैं।

अनुच्छेद - 161 : राज्यपाल की क्षमता शाक्ति।

[फॉसी सजा नहीं माफ कर सकते।

[सैन्य सजा नहीं माफ कर सकते।

अनुच्छेद - 162 → राज्य कि कार्यपालिका शाक्ति का प्रधान विस्तार राष्ट्रपति करेंगे।

अनुच्छेद - 163 → राज्यपाल का समयका एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगा। जिसके अध्यक्ष C.M होगा।

अनुच्छेद - 164 → C.M के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे।

C.M की कार्यव्य एवं शाक्तियाँ :

1. C.M राज्य कार्यपालिया का वास्तविक प्रधान होता है।
2. वह विधानमण्डल की सुचना राज्यपाल को देता है।
3. वह किसी मंत्री की नियुक्ति या हटाने की सिफारिश राज्यपाल से करता है।
4. C.M राष्ट्रीय विकासपरिषद् के सदस्य होते हैं।
5. C.M के द्याग या मूल्य होने से मंत्रीपरिषद् भूंग हो जाता है। एवं वह C.M अपने अनुसार मंत्रिपरिषद् बनाता है।
6. C.M. विभिन्न पदाधिकारियों सम्बंधित शिफारिश राज्यपाल को करता है।

अनुच्छेद-165 :-

महाधिवक्ता (Advocate General) :-

राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है यह राज्य सरकार प्रद्यम विद्वी अधिकारी होता है।

⇒ यह विधानमण्डल की कार्यवाही में भाग लेता है किन्तु उसका सदस्य न होने के कारण vote नहीं कर सकता है।

यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त होता है।
इसकी वीणता H.C के जज के बराबर है।

अनुच्छेद-168 :- इसमें विधानमण्डल आ विधान भवन की चर्चा है।

⇒ यह राज्य के कानून बनाने की संख्या है।
⇒ इसके तीन छंग हैं।

विधानसभा, विधानपरिषद्, राज्यपाल
⇒ विधानमण्डल के दो सदन होते हैं।
विधानसभा, विधानपरिषद्

अनुच्छेद-169 :- इसमें विधानपरिषद् के सूजन्य (निर्माण) में चर्चा है जिन राज्यों को V.P का निर्माण किया है। यहाँ की विधान विधानसभा कसका प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी। संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में V.P बन जाएगी। कर्तमान में यह प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने पारित कर भेजा है।

अनुच्छेद - १४० →

इसमें V.S कि चर्चा हैं V.S भी हो सकता हैं अतः इसे अस्थाई निम्न सदन कहते हैं
 ⇒ इसके बहुमत दल के नेता को CM बनाया जाता हैं
 अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती हैं अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं
 इसका सदस्य बनने के लिए न्युनतम उमेर आयु होना चाहिए। अतः इसे युवाओं का सदन कहते हैं
 ⇒ V.S में अधिकतम सीटों कि संख्या ८० न्युनतम सिरों कि संख्या ६० होती हैं

अनुच्छेद - १४१ →

विधान परिषद् [Legislative Council] →

इसकी चर्चा अनुच्छेद - १४१ में है इसका विधान नहीं हो सकता है अतः इसे उच्च सदन या उच्चायी सदन कहते हैं

इसका चुनाव जनता अप्रत्यक्ष करती है अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं
 इसमें बहुमत इल के नेता को CM भी बनाया जाता है अतः इसे द्वितीय सदन कहते हैं

इसका सदस्य बनने के लिए न्युनतम ३० वर्ष होनी चाहिए है अतः इसे वृद्धों का सदन कहते हैं


इसके अधिकतम सीटों की संख्या V.S के $\frac{1}{3}$ होती है

इसके सदस्यों का चुनाव


5 श्रेणियों द्वारा होता है

1. एक-तिहाई सदस्य VS चुनती हैं।
2. एक-तिहाई सदस्य को स्थानीय निकाय [पंचायत] के सदस्य चुनते हैं।
3. $\frac{1}{6}$ -को राज्यपाल मनोनित करते हैं।
4. $\frac{1}{2}$ सदस्य को माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सदस्य (शिक्षक) चुनते हैं।
5. $\frac{1}{2}$ सदस्य को स्नातक पास (3 साल पूर्व) हो चुके विधायी चुनते हैं।

BIHAR VP-75 सीर



Remark → V.S के सदस्य को Member of Legislative Assembly [M.L.A] तथा V.P के सदस्य को Member of Legislative Council [M.L.C] कहते हैं।



अनुच्छेद - १७२: →

सदनों कि अवधि → N.P एक स्थायी
सदन है इसके सदस्यों का कार्यकाल ६ वर्ष
होता है जबकि N.S का कार्यकाल ५ वर्ष
का होता है।

अनुच्छेद - १७३: → इसमें विधानमण्डल के सदस्यों कि योग्यता है।

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. पांगल दिवालियाँ न हो।
3. किसी लाभ के पद पर ना हो।
4. N.S के लिए Min आयु २५ वर्ष तथा
N.P " " " " " ३० वर्ष
आयु हो।

अनुच्छेद - 182 →

इसमें N.P के समाप्ति तथा उपसमाप्ति की चर्चा है इन्हें N.S के सदृश्य चुनते हैं और N.S के सदृश्य ही प्रस्ताव ~~कुछ~~ पारित करके हरा सकते हैं।

⇒ N.P का समाप्ति उपराज्यपाल नहीं होता है।

High Court [उच्च न्यायालय]

⇒ S.C की व्यवस्था P.C.A से लिया गया है जब तक मारत में पहली बार H.C की रुचापना 1861 के अधिनियम के हारा 1862 में कलाक्षा, ब्रम्भ तथा मद्दाल में खोला गया।

H.C का वर्तमान स्थिति भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।

अनुच्छेद - 214 →

इसमें H.C के गठन की चर्चा है प्रत्येक राज्य का एक H.C होगा।

यदि राज्य बहुत बड़ा है तो एक ही राज्य में कई H.C के खण्डधीठ (Branch) खोले जाएं।

प्र- UP = लखनऊ + फूलाहाबाद

होटे राज्य का एक शंखुकूत H.C हो सकता है।

प्र- गुवाहाटी

- ⇒ सर्वाधिक अज इलाहाबाद H.C में [160]
 ⇒ अबकी राज्यों का क्षेत्राधिकार गुवाहाटी H.C का है
 ⇒ H.C में राज्यों कि यंत्र्या वृद्धि का आधिकार राष्ट्रपति
 को है अब कि S.C में जजों कि यंत्र्या वृद्धि
 का आधिकार संसद को है
 ⇒ H.C में अज बनने के लिए ~~जज छोड़ा जाना~~ DC में 10
 साल बढ़िया या 5 साल अज होना चाहिए :- साथ ही राज्यपाल
 के नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए :-
 ⇒ H.C में जजों की नियुक्ति सम्बंधी विफारिश HSC का मुख्य
 व्यापर्वीश H.C का मुख्य अज एवं राज्यपाल मिलकर
 राष्ट्रपति को करते हैं।
 ⇒ H.C के अज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं किन्तु H.C का
 Judge अपना व्यापर्व राष्ट्रपति को देते हैं।
 ⇒ ये 65 वर्ष के ऊपर तक अपने पद पर रहते हैं
 इससे पहले भी उन्हें संसद के महानियोग हारा
 द्याया जा सकते हैं।
- Remark → S.C के अज रामास्वामी के विद्वृत्त संसद में
 महानियोग चला जबकि पंजाब, हरियाणा, H.C के अज
 रंगास्वामी के विद्वृत्त महानियोग चला।
 किन्तु ये दोनों
 महानियोग पारित न हो सका।
- ⇒ S.C के जजों को कैफियत संवित नियोग से तथा H.C
 एवं DC के जजों का वैतन राज्य को संवित नियोग
 से दिया जाता है।

अनुच्छेद-२२६ के तहत H.C भी प्र प्रकार के रोट जारी कर सकता है।

⇒ D.C के मुकदमे की अपील H.C में की जा सकती है।
किन्तु सिवा मुकदमा H.C में नहीं होता है।

कुछ मुकदमे जो सीधे H.C में जा सकते हैं:-

1. M.P तथा M.L.A का विवाद
2. Company विवाद
3. विवाह या तलाक
4. क्षेत्र (उत्तराधिकारी) का मामला
5. मुल अधिकार का मामला (अनुच्छेद-२२६)
6. कर्मचारियों के संवैधानिक स्थिति की जाँच
7. जनहित याचिका (PIL) (Public Interest Litigation).

⇒ भारत में कुल २५ H.C हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश है जिसका अपना H.C है।

निचली अदालत (Lower Court)

जिला न्यायालय (District Court)

Civil Court

व्यवसाय कोर्ट

Session Court

सज्ज न्यायालय

[दिवानी मुकदमा = धन]
जमीन]

[फौजदारी = मारण]
हत्या]

⇒ District Court की चर्चा अनुच्छेद - 233 में हैं सक्षा
जज लगाने के लिए राज्य व्याधिक सेवा की परिष्का
देनी होती हैं या. H.C के मुख्य व्याधिश के सलाह
पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त कर सकता हैं।

* दिवानी मुकदमा → धन या जमीन से संबंधित मुकदमा
दिवानी मुकदमा कहलाता है इसे Court में सुलझाया
जाता है।

Ex → जमीन, विवाद, दृष्टि विवाद किसीहीन मामला
क्षात्री।

Remark → जब सक्षात् का दैसा लुटा जाता है तो
उसे राजस्व कहते हैं।

Ex → Tax चोरी, किजली चोरी इत्यादी।

फौजदारी मुकदमा → मार-पिट से संबंधित मुकदमा को
फौजदारी मुकदमा कहते हैं।

⇒ इसे सत्र-व्याधिलय हारा सुलझाया जाता है।

Ex → हत्या, डकेती, लूट, धमकी, अपहरण, दैप, इत्यादी।

लोक अदालत → इस अदालत में मुकदमे पर फैसले नहीं

सुनाए जा सकते हैं केवल आपस में समझौता करा
दिया जाता है।

लोक अदालत के समझौते या फैसले
के बिल्ड H.C या S.C में अपेल नहीं सकता है।

* परिवार व्यायालय [Family Court] → इसकी स्थापना
सन् 1984 में हुई थी। इसमें होट-मोटे परिवारिक
मुददे जाते हैं।

ट्रि - सास - बहू विवाद इत्यादि

* जनहित याचिका [Public Interest Litigation] →
इसकी शुरुआत 1980 में अमेरिका से हुई।

भारत में इसकी शुरुआत
1986 में C.I.L P.N. भगवती कार्यकाल में हुई।
अह केवल S.C या H.C में
किया जा सकता है।

ट्रि → वैज्ञानिकों का वेतन बढ़ावा मुकदमा।

भाग - ०८

अनुच्छेद - 238 (समाप्त)